राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधीनगर, भीलवाड़ा

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री बद्रीलाल सालवी पुत्र कालूराम सालवी निवासी प्लॉट नं. 69, 80 फीट रोड, शारदा एवरग्रीन पार्क, भीलवाड़ा
2. श्रीमती पुष्पा सालवी पत्नी बद्रीलाल सालवी निवासी प्लॉट नं. 69, 80 फीट रोड, शारदा एवरग्रीन पार्क, भीलवाड़ा

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री भुनेश वशिष्ठ।

निर्णय

दिनांक :20.06.2022

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय गांधीनगर, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 27,90,000/– रूपये का ऋण दिनांक 04.08.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – श्री बद्रीलाल सालवी पुत्र कालूराम सालवी का प्लॉट नं. 69 (आराजी नं. 3189), 80 फीट रोड, ग्राम पांसल, शारदा एवरग्रीन कॉलोनी, भीलवाड़ा स्थित आवासीय सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट) रहन रखी गयी। दिनांक 17.05.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 29,79,491.01/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 30.04.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।